रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO D (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 1991/फाल्गुन 7, 1912
No. 123] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 1991/PHALGUNA 7, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(पोत परिवहन पक्ष)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1991

का. आ. 136(अ) :— केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 150 की उपधारा (5) के अनुसरण में श्री जानी बाबू जो एक नाविक हैं और मैसर्स रत्नाकर शिपिंग कम्पनी के मध्य विवाद में भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पोत परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 678(अ) तारीख 29-8-1989 के अधीन गठित अधिकरण के निम्नलिखित अधिनिर्णय को जो केन्द्रीय सरकार को 17-8-1990 को प्राप्त हुआ था, प्रकाशित करती है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा 29 अगस्त, 1989 को वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम (1958 का 44) की धारा 150 की उपधारा (1) के अधीन गठित किए गए श्री एन. चक्रवर्ती के एक सदस्यीय न्यायाधिकरण के समक्ष।

पार्टियां : मैसर्स रत्नाकर शिपिंग कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

और

श्री जानी बाबू, नाविक

उपस्थिति :—

नाविक के लिए — जानी बाबू
—हिरोन मुखर्जी

रत्नाकर शिपिंग —के के कोहली
कम्पनी लिमिटेड —एच पी शारदा
के लिए

निर्णय

भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम (1958 का 44) की धारा 150 की उपधारा (1) के अधीन एक नाविक जानी बाबू और रत्नाकर शिपिंग कम्पनी लिमिटेड, जहाज मालिक जिसमें नाविक नियुक्त था, के बीच विवाद के अधिनिर्णय के लिये अधिसूचना सं. का. आ. 678 (अ) दिनांक 29 अगस्त, 1989 द्वारा एक न्यायाधिकरण का गठन किया था। न्यायाधिकरण का गठन कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 7 जून, 1988 के एक आदेश के अनुसरण में किया गया था और उस आदेश में प्रतिवादी 1 से 4 तथा उनमें से प्रत्येक को निदेश दिया गया था कि याचिका वायरकर्सा के सेवा बर्खास्तगी के मामले पर विचार किया जाए और राजपत्र में अधिसूचना जारी करके एक अथवा अधिक व्यक्तियों के न्यायाधिकरण के गठन के लिए वाणिज्यिक नौवहन

अधिनियम, 1958 की धारा 150(1) के तहत सभी कदम उठाए जाएं और अधिनिर्णय के लिए मामले को न्यायाधिकरण में भेजा जाए।

2. श्री जानी बाबू द्वारा अपने लिखित बयान में तैयार किया गया मुकदमा संक्षेप में इस प्रकार है :– वह रत्नाकर शिपिंग कम्पनी में उनके जहाजों में 1980 से लगातार बगैर किसी क्रम भंग के सेवा कर रहा था। 8 अगस्त, 1985 को जब वह एम वी रत्न वन्दना पर कार्यरत था और जहाज विशाखापत्तनम में आऊटर एंकरेज पर था तो वह बीमार हो गया और कम्पनी के डाक्टर की अस्पताल में भर्ती होने की सलाह पर फार्म ई एन जी–2 पर समझौता नियमावली से उन्हें हटा दिया गया और तटीय अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया। उन्होंने 30 अगस्त, तक सेंट जोसेफ अस्पताल में इलाज कराया और फिर उन्हें कम्पनी के मुख्यालय में सूचना देने के लिए रेल द्वारा कलकत्ता भेजा गया। उन्हें कम्पनी के डाक्टर के समक्ष पेश होने का निदेश दिया गया। डाक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर रत्नाकर शिपिंग कम्पनी ने जानी बाबू की सेवाएं समाप्त कर दी क्योंकि उन्हें समुद्री सेवाओं के लिए डाक्टरी तौर पर अनुपयुक्त समझा गया था। तत्पश्चात जानी बाबू ने 12 दिसम्बर, 1985 तक कलकत्ता नेशनल मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में एक बाह्य रोगी के रूप में चिकित्सा कराई जब उन्हें डा. एन. के. मुखर्जी, असिटेंट प्रोफेसर आफ मेडिसिन द्वारा "सामान्य कार्यों के लिए स्वस्थ" का प्रमाण पत्र दिया गया। उन्होंने अपनी सेवाओं को बहाल कराने के लिए कम्पनी से सिफारिश की लेकिन कम्पनी ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। जानी बाबू का दावा है कि कलकत्ता नेशनल मेडिकल कालेज तथा अस्पताल के डा. एन के. मुखर्जी द्वारा उन्हें स्वस्थ पाया गया था अतः कथित अस्वस्थता की कम्पनी के डाक्टर की सलाह सच नहीं थी और उनकी सेवाएं समाप्त करने का कम्पनी का आदेश अन्यायपूर्ण और अवैध है।

3. रत्नाकर शिपिंग कम्पनी लि. ने अपने लिखित बयान में दृढ़ता पूर्वक कहा कि याचिकाकर्ता जानी बाबू को अपनी ड्यूटी पर आने के बाद भी कई अवसरों पर जिनमें 7 मई, 1984 और 25 जून, 1984 भी शामिल हैं, अस्वस्थ घोषित किया गया था। तब याचिकाकर्ता ने स्वयं इलाज कराया और कम्पनी के डाक्टर ने 9 नवम्बर, 1984 को उन्हें इस शर्त पर स्वस्थ घोषित किया कि उन्हें केवल मधुमेह के लिए पथ्य भोजन ही लेना चाहिए और समुद्री यात्रा के दौरान औसध जारी रखने के लिए हाइपोगेमिक गोलियां खाते रहना चाहिए। याचिकाकर्ता को 5 नवम्बर, 1984 को पुर्ननियोजित किया गया और 9 जनवरी, 1985 को जहाज पर भेज दिया गया। 7 अगस्त, 1985 को जब जहाज विशाखा-पत्तनम में बाहरी एंकरेज पर था, याचिकाकर्ता ने शिकायत की कि वह पेशाब नहीं कर सकता। उसे मधुमेह की बीमारी थी और पेंसिलिन से अलर्जी थी तथा वह त्वचा रोगों से पीड़ित था। अपनी विभिन्न बीमारियों और शिकायतों के लिये वह मनमाने ढंग से अपनी मनपसंद दवाइयां और भोजन ले रहा था। ऐसे कारणों की वजह से याचिकाकर्ता को डाक्टरी आधार पर हटा दिया गया तथा 8 अगस्त को 0300 बजे लांच द्वारा तट पर भेज दिया गया तथा पूर्णतः पेशाब की रूकावट के लिये सेंट जोसेफ अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। याचिकाकर्ता का 30 अगस्त, 1985 तक इलाज किया गया और इलाज कर रहे चिकित्सक द्वारा गंभीर मधुमेह तथा पेशाब रूकने के कारण ड्यूटी के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया तथा अकेले रेल द्वारा यात्रा करने के लिए स्वस्थ घोषित किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा कलकत्ता स्थित कम्पनी कार्यालय में सूचना दिए जाने पर उनकी और चिकित्सा करने के लिए उन्हें 2 सितम्बर, 1985 को कम्पनी के मेडिकल आफिसर डा. के सोफ्ट के पास भेजा गया। डा. सोफ्ट द्वारा उनकी विधिवत् जांच की गई और 4 सितम्बर, 1985 को उन्हें डाक्टर द्वारा समुद्री सेवा के लिये स्थाई रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया क्योंकि डा. के. सोफ्ट की राय में इस बीमारी का जहाज पर की जाने वाली चिकित्सा द्वारा न तो इलाज किया जा सकता था न ही नियंत्रित किया जा सकता था। कम्पनी ने 5 सितम्बर, 1985 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी। कम्पनी ने डा. एन के मुखर्जी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के औचित्य और याचिका-कर्ता के इस प्रमाण पत्र पर निकाले गए इस निष्कर्ष पर कि उसकी मधुमेह की बीमारी ठीक हो गई और/अथवा उसका पूर्णतः इलाज हो गया है और वह सामान्य कार्यों के लिए स्वस्थ हो गया है, आपत्ति की। कम्पनी ने याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इंकार कर दिया और पुनः कहा कि याचिककाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करना, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कानूनी रूप से वैध और उचित था।

4. याचिकाकर्ता ने भी अपने लिखित बयान में दावा किया है कि उसकी सेवाओं को समाप्त करते समय कम्पनी उसे प्रतिपूर्ति और अर्जित मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहा है। इस मुकदमे का वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 145(1) और भाग VII के अन्य उपबंधों के अधीन मेट्रोपोलिटन एवं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की चौथी अदालत में निर्णय किया गया है, और याचिकाकर्ता ने भी मेट्रोपोलिटिन एवं एग्जी-क्यूटिव मजिस्ट्रेट, चौथी अदालत, कलकत्ता के निर्णय के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। पुर्नविचार याचिका अभी कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इसलिए प्रतिपूर्ति और अर्जित मजदूरी के मामले पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाना है और इस न्यायाधिकरण के समक्ष केवल यह मामला है कि क्या रत्नाकर शिपिंग कम्पनी लि. द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति न्यायोचित और वैध है। याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध भी किया है कि उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिवक्ता की भी व्यवस्था की जाए। चूंकि रत्नाकर शिपिंग कम्पनी लि. ने इस पर आपत्ति की इसलिए उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता को ऐसे व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति दी गई जो लीगल प्रैक्टीशनर नहीं है।

5. दोनों पार्टियों ने साक्ष्य और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की। एस डब्ल्यू 1 कलकत्ता नेशनल मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के डा. एन के मुखर्जी है। उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने जानी बाबू की अनेक बार जांच की है और जांच की अंतिम तिथि 12 दिसम्बर, 1985 थी। उन्होंने आवश्यक क्लिनिकल रिपोर्ट चैक की है। और अपना डाक्टरी निष्कर्ष यह निकाला है कि दो महीनों के लिए यथा निर्धारित प्रतिबंधित भोजन और चिकित्सा के अध्यधीन श्री जानी बाबू सामान्य कार्यों के लिए स्वस्थ हैं। उस तारीख अर्थात 12 दिसम्बर, 1985 को उनका विचार था कि रोगी का मधुमेह नियंत्रण में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामान्य कार्यों का अर्थ है शारीरिक श्रम को छोड़कर लेकिन इनमें मानसिक कार्य और मानसिक और शारीरिक श्रम के बीच का कार्य शामिल है। वे नहीं समझते कि श्री जानी बाबू की मधुमेह की बीमारी से श्री जानी बाबू के स्वास्थ्य में कोई और अड़चन उत्पन्न हुई और यदि श्री जानी बाबू को समुद्र में भेज दिया जाए जहां दो या तीन सप्ताह के लिए कोई अर्हता प्राप्त डाक्टरी सहायता उपलब्ध न हो तो उनके स्वास्थ्य को कोई अनुचित खतरा नहीं होगा बशर्ते उनके निदेशों का पालन किया जाए उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें श्री जानी बाबू के पिछले इतिहास विशेषतः विशाखापत्तनम में कराए गए इलाज की जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके निदेशों के अनुसरण में श्री जानी बाबू की दो महीने के बाद पुनः जांच किए जाने की उम्मीद है।

6. सी. डब्ल्यू. 1 डा. के सोफ्ट ने बयान दिया है कि उन्होंने श्री जानी बाबू की पहली बार 7 अप्रैल, 1984 को जांच की थी और उन्हें मधुमेह की बीमारी पाई गई। श्री जानी बाबू द्वारा हस्ताक्षर की गई पिछली हिस्टरी शीट में यह उल्लेख नहीं है कि वे मधुमेह से ग्रस्त थे। उन्होंने श्री जानी बाबू को विशाखापत्तनम से आने के बाद 4 सितम्बर, 1985 को जांच की। उन्हें जानी बाबू के रक्त में प्रचुर शर्करा मालूम हुई और यह भी जानकारी मिली कि जानी बाबू के साथ पेशाब रुकने में डाक्टरी चिकित्सा उपलब्ध न होने का गंभीर मामला हुआ और 330 मि. ग्रा. तक रक्त शर्करा थी। अन्य जांचों के परिणाम से मालूम हुआ कि उनके गुर्दे क्षतिग्रस्त हैं। उन्होंने बताया कि रक्त यूरिया और अन्य

टैस्ट किए गए लेकिन जांच परिणाम न तो उनके पास हैं और न ही कम्पनी के पास हैं। उन्होंने दावा किया कि जब अस्पताल में इलाज कराने का इतिहास छिपाया गया है तो किसी सरकारी (बाह्य) अस्पताल में गुर्दे के क्षतिग्रस्त होने अथवा किसी अन्य अंग को क्षतिग्रस्त होने का पता नहीं लगाया जा सकता। केवल नीफ्रोलोजिस्ट निष्कर्ष निकाल सकता है क्योंकि इसके लिए विभिन्न जांच आवश्यक है। डा. के. सोपट ने बताया कि वह मैसर्स रत्नाकर कम्पनी लि. में 1980 से मेडिकल आफिसर हैं। दिनांक 4 दिसम्बर, 1985 का प्रमाणपत्र उनके अनुदेश से जारी किया गया था क्योंकि जानी बाबू की रक्त शर्करा 290 मि. ग्रा. थी और उन्हें अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि केवल बगैर जटिलताओं के मधुमेह को सामुद्रिक सेवा के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है। पहले श्री जानी बाबू को 7 मई, 1984 को अनुपयुक्त घोषित किया गया था क्योंकि उनके पेशाब में पर्याप्त शर्करा थी। मधुमेह पर नियंत्रण किया जा सकता है अथवा नहीं, यह अलग अलग मामलों पर निर्भर है। एक ऐसे मधुमेह रोगी का मधुमेह नियंत्रित नहीं हो सकता जिसको उचित औषध, भोजन और व्यायाम के बावजूद हाइपरबली सीमिया हो। डा. सोपट ने स्पष्ट किया कि पेशाब की रुकावट मधुमेह के कारण समझी गई क्योंकि रक्त शर्करा अत्यधिक थी। इस मामले में मधुमेह दोबारा होने के कारण अनियंत्रित था। उन्होंने पुनः कहा कि उन्होंने श्री जानी बाबू की 4 सितम्बर, 1985 से संभवतः एक या दो दिन पहले जांच की थी और रिपोर्ट 4 सितम्बर, 1985 को जारी की गई थी। उन्हें वह तारीख ठीक से याद नहीं है जिसको जानी बाबू की उन्होंने जांच की थी। परम्परानुसार रिपोर्ट कम्पनी को भेजी गई और श्री जानी बाबू को कोई प्रतिलिपि नहीं दी गई थी। डा. सोपट ने यह भी बताया कि किसी नाविक की अच्छी जांच उसका पिछला इतिहास जाने बगैर नहीं की जा सकती और उन्होंने उसकी सदैव जांच की है। डा. सोपट ने कहा कि वह इस समय बहुत सी शिपिंग कम्पनियों में मेडिकल आफिसर के रूप में कार्य कर रहे हैं।

7. सी डब्ल्यू–2 श्री वी. के. दामानी, ने बताया कि श्री जानी बाबू द्वारा घोषित जन्म तिथि एक जनवरी, 1928 है। उन्होंने यह भी बताया कि श्री जानी बाबू को मधुमेह के कारण पहले दो बार समुद्री सेवा के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया था।

8. एम. डब्ल्यू–2 श्री एम. टी. जोसेफ नेशनल यूनियन आफ सीफेयर्स आफ इंडिया, बम्बई (एन. यू. एस. आई.) के एक प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि एन. यू. एस. आई.—जहाज मालिक के बीच हुए समझौते के अनुसार जब कोई नाविक अपने चिकित्सा परामर्शदाता से स्वस्थता प्रमाणपत्र लेकर देता है और यदि ऐसा प्रमाणपत्र कम्पनी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तो उस मामले को यूनियन और शिपिंग कम्पनी द्वारा संयुक्त रूप से नामांकित एक तीसरे चिकित्सा विशेषज्ञ को भेजना होता है और नाविक की स्वस्थता के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञ की राय अंतिम होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में इस विवाद को कम्पनी द्वारा यूनियन को न भेजे जाने का कार्य द्विपक्षीय समझौते के संबंधित खंड का भारी उल्लंघन है और नाविक की सेवाओं को एक तरफा रूप से समाप्त करना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है और अन्य शब्दों में नाविक को सुने जाने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि विवाद को यूनियन को भेजे जाने का उत्तरदायित्व कम्पनी का है, नाविक का नहीं। वर्तमान मामले में कम्पनी ने यूनियन से परामर्श नहीं किया। नाविक (याचिकाकर्ता) ने भी यूनियन को सूचित नहीं किया।

9. याचिकाकर्ता चाहते हैं कि शिपिंग मास्टर कलकत्ता, श्री एस. सी. गुप्ता भी साक्ष्य दें। चूंकि श्री एस. सी. गुप्ता डाक्टरी अवकाश पर थे और कलकत्ता में उपस्थित नहीं थे इसलिए याचिकाकर्ता से पूछा गया कि किस मुद्दे पर श्री एस. सी. गुप्ता के साक्ष्य की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह चाहता है कि श्री गुप्ता शिप की आफिसियल लाग-बुक प्रस्तुत करें। चूंकि सेवा की समाप्ति अनुशासनिक आधार पर नहीं है और डाक्टरी आधार पर शिप के आर्टिकल्स आफ एग्रीमेंट से नाविक की बर्खास्तगी से संबंधित आफिशियल लाग-बुक प्रविष्टि की प्रतिलिपि कम्पनी द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी इसलिए मैंने समझा कि श्री एस. सी. गुप्ता के उस साक्ष्य का इस न्यायाधिकरण द्वारा कोई उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

10. याचिकाकर्ता की सेवा शर्तें सांविधिक रूप से वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम द्वारा नियमित हैं। सांविधिक शर्तों के अलावा अन्य शर्तों पर भी कम्पनी के प्रस्ताव और नियुक्ति पत्र के अनुसार सहमति हुई है। जहां तक सांविधिक शर्तों का संबंध है यह सिद्ध है कि याचिकाकर्ता बीमार हुआ और 8 अगस्त, 1985 को जब जहाज विशाखापत्तनम में (आऊटर एंकरेज) पर था तो तट पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी। उन्हें आफिशियल लाग बुक प्रविष्टि के अनुसार शिप के आर्टिकल्स आफ एग्रीमेंट से हटाया गया, 30 अगस्त, 1985 तक सेंट जोसेफ अस्पताल, विशाखापत्तनम में उसका इलाज हुआ, उसे कलकत्ता वापस भेजा गया जो जहाज मालिक के वापिस पहुंचने का उचित पत्तन था और जहाज मालिक ने 5 सितम्बर, 1985 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं। इन घटनाओं के बारे में कोई विवाद नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता सेंट जोसेफ अस्पताल विशाखापत्तनम से छुट्टी पाने के बाद जहाज एम. वी. रत्न वन्दना की यात्रा पर जाने के लिए स्वस्थ था? उत्तर नाकारात्मक है क्योंकि वह कलकत्ता आने पर भी स्वस्थ नहीं था। यदि कम्पनी के डाक्टर की सलाह को न भी माना जाए। श्री जानी बाबू को अपने चिकित्सा के अनुसार "सामान्य कार्य के लिए स्वस्थ" होने में तीन महीने की आवश्यकता थी। इसलिए याचिकाकर्ता यात्रा पर जाने में असमर्थ था और उसकी सेवाओं की समाप्ति वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम की धारा 141 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन पूर्णतः वैध है।

11. दिनांक 10 नवम्बर, 1980 के पेशकश और नियुक्ति पत्र में दिया गया था कि "याचिकाकर्ता की सेवा की शर्तें एन यू एस आई के समझौते के अनुरूप होंगी।" एन यू एस आई समझौते के संबद्ध खंड (चिकित्सा लाभों के खंड 36) में कहा गया है कि कंपनी के चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया नाविक किसी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा अपनी चिकित्सा परीक्षा करा सकता है और किसी भिन्न राय की स्थिति में उसके मामले को कंपनी तथा यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से नामित किए गए चिकित्सा विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। उक्त मामले में नाविक को जब कम्पनी के चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, तो उसने एक चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा अपनी जांच तथा इलाज करवाया, जबकि कम्पनी के चिकित्सा अधिकारी ने उसे समुद्री सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया था और दूसरे चिकित्सा विशेषज्ञ ने इलाज के बाद उसे सामान्य कार्यों के लिए योग्य घोषित कर दिया। स्पष्टतया, दो रायों में भिन्नता थी यद्यपि बाद की राय विशिष्ट रूप से समुद्री सेवा संबंधी योग्यता का उल्लेख नहीं करती। एन यू एस आई समझौते के खंड 36 के अनुसार अगली कार्रवाई के लिए मामले को कम्पनी तथा यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से नामित एक चिकित्सा विशेषज्ञ के समक्ष रखा जाना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया एन यू एस आई समझौते के खंड 36 की शब्दावली का मतलब है कि अगर एक पार्टी के मामले को तीसरे चिकित्सा विशेष के समक्ष रखना चाहती है तो दूसरी पार्टी को भी ऐसा करना पड़ेगा। पीड़ित होने के नाते याचिकाकर्ता को इस बात पर अड़ जाना चाहिए था कि कम्पनी मामले को कम्पनी तथा यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से नामित एक चिकित्सा विशेषज्ञ को सौंपे। याचिकाकर्ता ने कम्पनी से ऐसी कोई मांग अथवा अनुरोध भी नहीं किया और न ही 8 अगस्त, 1985 को एम वी रत्न वन्दना के समझौते की धाराओं से उसे हटाए जाने के समय उसने यूनियन को सूचित किया कि उसके तथा कम्पनी के बीच कोई विवाद है। यूनियन से उसी समय सम्पर्क किया गया जब न्यायाधिकरण ने नियुक्ति पत्र और एन यू एस आई समझौते की 22 फरवरी, 1990 को प्रतियां मांगी। यह संभव यद्यपि असंभावित है कि याचिकाकर्ता, जिसे पहले कम्पनी के डाक्टर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, एन यू एस आई समझौते के खंड 36 के सही प्रावधानों से अनभिज्ञ था। उसके नियुक्ति पत्र

मे एन यू एम आई समझौते की शर्तें स्पष्ट रूप से दी गई हैं तथा याचिकाकर्ता को यह स्थिति नहीं खोनी चाहिए थी। इसके बावजूद भी, उसके द्वारा, सलाह अथवा हस्तक्षेप के उद्देश्य से यूनियन को विवाद के बारे में सूचित न करना भी समझ में न आने वाली बात है।

12. उपलब्ध दस्तावेजों तथा न्यायाधिकरण के पास प्रमाणों के आधार पर यह पाया गया कि याचिकाकर्ता श्री जानी बाबू 5 सितम्बर, 1985 को समुद्री सेवा के लिए योग्य नहीं था जब उसकी सेवाओं को समाप्त किया गया था और 12 दिसम्बर, 1985 तक भी वह योग्य नहीं था जब उसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा योग्य घोषित किया गया था। 12 दिसम्बर, 1985 के बाद उसकी योग्यता अथवा अयोग्यता, अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित की जा सकती थी, जिसे नियुक्त नहीं किया गया था और जिसकी नियुक्ति के लिए श्री जानी बाबू ने कम्पनी अथवा यूनियन से कोई अनुरोध नहीं किया था। अब यदि चिकित्सा राय ली भी जाए तो इससे कोई उद्देश्य हल नहीं होगा क्योंकि श्री जानी बाबू को बहाल नहीं किया जा सकता क्योंकि वे 31 दिसम्बर, 1987 को समुद्री सेवा के लिए ऊपरी आयु सीमा पार कर गए थे। कम्पनी द्वारा चिकित्सा आधार पर श्री जानी बाबू की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई को मैं वैध ठहराता हूं क्योंकि अब तक कम्पनी के डाक्टर की राय का अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा उसके लिए कम्पनी दोषी नहीं है।

13 यह निर्णय, उपर्युक्त पैरा 10 और 12 के अनुरूप पास किया गया है।

8 अगस्त, 1990

कलकत्ता

एन. चक्रवर्ती, एक सदस्यीय न्यायाधिकरण

[फा. सं. सी – 18018/2/90 – एम टी]

एस. एन. कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 1991

S.O. 436(E).—In pursuance of sub-section (5) of section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby publishes the following Award of the Tribunal, constituted under the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Shipping Wing), No. S.O. 678(E), dated the 29th August, 1989, in the dispute between Shri Jani Babu, a seaman and M/s. Ratnakar Shipping Company Limited, which was received by the Central Government on the 17th August, 1990.

ANNEXURE

BEFORE SHRI N. CHAKRABORTY, ONE MAN TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 150 OF THE MERCHANT SHIPPING ACT (44 OF 1958) BY THE CENTRAL GOVERNMENT ON 29TH AUGUST, 1989

PARTIES :

M/s. Ratnakar Shipping Company Limited, Calcutta.

AND

Shri Jani Babu, Seaman.

APPEARANCES :

For the Seaman—Jani Babu Hiron Mukherjee.

For the Ratnakar—K. K. Kohli.

Shipping Co. Ltd—H. P. Sharda.

AWARD

By Notification No. S.O. 678(E), dated 29th August, 1989 the Government of India, Ministry of Surface Transport constituted under sub-section (1) of Section 150 of the Merchant Shipping Act (44 of 1958), a tribunal for the adjudication of the dispute between Jani Babu, a seaman and Ratnakar Shipping Company Limited, owner of the ship in which the seaman was employed. The constitution of the tribunal was in pursuance of an order dated 7th June, 1988 of the High Court of Calcutta and which order directed the Respondents 1 to 4 and each one of them to consider the petitioner's case of termination of service and take all steps under Section 150(1) of the Merchant Shipping Act, 1958 for constituting a Tribunal consisting of one or more persons by Notification in the Official Gazette and to refer the dispute to the Tribunal for adjudication.

2. The case made out by Jani Babu in his written statement is briefly as follows : He was serving Ratnakar Shipping Co. Ltd. in their ships continuously and without break, since 1980. On 8th August, 1985, while on board M. V. Ratna Vandna the ship being in the outer anchorage at Visakhapatnam, he fell sick and on the advice of the Company's doctor for hospitalisation, was signed off from the Articles of Agreement on Form ENG-2 and admitted in the hospital ashore. He received medical treatment at St. Joseph's Hospital till 30th August, then sent to Calcutta by Rail for reporting to Company's Head Office. On reporting to Company's Head Office, he was directed to present himself to Company's doctor. The Ratnakar Shipping Company, on receipt of the doctor's report, terminated the service of Jani Babu as he was considered medically unfit for sea service. Jani Babu, thereafter took medical treatment as an out door patient at Calcutta National Medical College & Hospital till 12th December, 1985 when he was certified "Fit for normal activities" by Dr. N. K. Mookerjee, Asstt. Prof. of Medicine. He approached the Company for reinstatement but the Company refused to do so. Jani Babu maintains that as he was found fit by Dr. N. K. Mookerjee of Calcutta National Medical College & Hospital the advice of the Company's doctor alleging medical unfitness was untrue and the Company's order terminating his service is unjustified and illegal.

3. Ratnakar Shipping Co. Ltd. in their written statement avert that petitioner Jani Babu was declared unfit for sea service on several occasions including on 7th May, 1984 and 25th June, 1984, even after his resumption of duty. The petitioner then took his own treatment and the Company's doctor declared him fit on 9th November, 1984 on condition that he should be on restricted diabetic diet and take oral hypoglycaemic tablets for continuation of medication during voyage. The petitioner was re-engaged from 5th November, 1984 and placed on the vessel on 9th January, 1985. On 7th August, 1985, when the vessel was at outer anchorage at Visakhapatnam, the petitioner complained that he was unable to pass urine. He was diabetic, allergic to penicillin medicines and having skin diseases. He was arbitrarily taking different types of medicines and food of his own choice for his various ailments and complaints. Due such reasons, the petitioner was signed off on medical grounds and at 0300 hours on 8th August, sent ashore by launch and admitted to St. Joseph's Hospital for treatment of acute retention of urine. The petitioner was provided treatment till 30th August, 1985 and thereupon he was declared unfit for duty due to chronic diabetes and retention of urine by the attending physician and was recommended fit for travel alone by train. On the petitioner reporting to the Company's Office in Calcutta, he was sent on 2nd September, 1985, to Company's medical Officer Dr. K. Soft for further medical attention. He was duly examined by Dr. K. Soft who declared him permanently unfit for sea service on 4th September, 1985, as in the opinion of Dr. K. Soft, the disease could neither be cured nor controlled by treatment on board. The Company terminated the patient's service by a letter dated 5th September, 1985. The Company disputed the correctness of the medical certificate of Dr. N. K. Mookerjee and conclusions drawn therein by the petitioner that he had become free from diabetes or completely cured person and had become fit for normal activities. The Company denied all the allegations made by the petitioner and reiterated that the termination of petitioner's services was legal, valid and proper in the facts and circumstances of the case.

4. The petitioner also made a mention in his written statement of the Company not paying him the compensation and earned wages, while terminating his services. This issue has been decided in the 4th Court of the Metropolitan & Executive Magistrate, Calcutta under Section 145(1) and other provisions of Part VII of the Merchant Shipping Act, 1958 and that the petitioner has also filed a Revision Petition in the High Court of Calcutta against the Judgment of the Metropolitan and Executive Magistrate, 4th Court, Calcutta. The Revision Petition is presently pending before the High Court of Calcutta. The case of compensation and earned wages therefore, is not for consideration of the Tribunal and the sole issue before this Tribunal is whether the termination of petitioner's service by the Ratnakar Shipping Co. Ltd., is justifiable and valid. The petitioner also requested that an advocate to represent him. As Ratnakar Shipping Co. Ltd., objected, the request was not granted. The petitioner was permitted assistance of any person who is not a legal practitioner.

5. Both the parties adduced evidence and submitted copies of documents. SW-1 is Dr. N. K. Mookerjee of Calcutta National Medical College & Hospital. He stated that he examined Jani Babu a number of times, the last date of examination being 12th December, 1985. He had checked necessary clinical test reports and came to his medical conclusion that Shri Jani Babu was fit for normal activities subject to restricted diet and medication as prescribed for two months. On that date, i.e. on 12th December, 1985, he considered that the patient's diabetes was under control. He clarified that normal activities mean other than normal labour but includes any work of pedantic nature or work between pedantic and manual labour. He did not consider that Shri Jani Babu's diabetic condition produced any other complication to Shri Jani Babu's health and that there would be no undue hazard to Shri Jani Babu's health if he was to proceed to sea where no qualified medical assistance is available for two or three weeks, provided his directions were followed. He also stated that he was not told of previous history of ailments of Shri Jani Babu, particularly of the treatment received at Visakhapatnam Hospital. He also clarified that following his directions, Shri Jani Babu was expected to get re-examined after two months.

6. CW-1, Dr. K. Soft stated that he first examined Shri Jani Babu on 7th April, 1984 and found him diabetic. The previous history sheet signed by Shri Jani Babu did not mention that he was diabetic. He examined Shri Jani Babu on his arrival from Visakhapatnam on 4th September, 1985. He found Jani Babu with high blood sugar and knew Jani Babu had a serve episode of medical emergency of retention of urine and blood sugar upto 330 mg. Other test results indicated damage to kidneys. He stated that blood urea and other tests were done but the test result documents were not with him or with the Company. He claimed that where history of previous hospitalisation is suppressed, the evaluation of kidney damage or damage to other organs cannot be assessed at any Govt. (Outdoor) Hospital. Only a Nefrologist can draw conclusion as various tests are necessary. Dr. K. Soft stated that he was a medical officer of M/s. Ratnakar Shipping Co. Ltd., since 1980. The certificate dated 4th September, 1985 was issued under his instructions and as Jani Babu's blood sugar count was 290 mg. he was declared unfit. He stated that diabetes without complications may only be considered fit for sea service. Earlier, Shri Jani Babu was declared unfit on 7th May, 1984, as there was a lot of sugar in his urine. Diabetes is controllable or not depends on individual cases. A diabetic patient who has Hyperblysomia inspite of proper drugs, food and exercise has uncontrolled diabetes. Dr. Soft clarified that retention of urine was concluded due to diabetes since there was high blood sugar. Diabetes in this case was uncontrolled due to recurrence. He reiterated that Shri Jani Babu was examined by him, perhaps a day or two earlier than 4th September, 1985 and the report was issued on 4th September, 1985. He did not exactly remember on the date on which Shri Jani Babu was examined by him. The report was sent to the Company as per practice and no copy was given to Shri Jani Babu. Dr. Soft also stated that a good examination of a seaman cannot be made without knowing his previous history and he always checked the same up. Dr. Soft stated that he was acting as Medical Officer of many Shipping Companies at present.

7. C.W. 2 Shri B. K. Damani stated that date of birth declared by Shri Jani Babu was 1st January, 1928. He also stated that Shri Jani Babu was earlier declared unfit for sea service twice for diabetes.

8. S.W. 2. Shri M. T. Joseph is a representative of National Union of Seafarers of India, Bombay (N.U.S.I.). He stated that as per NUSI-Shipowners' agreement, when a sea man gives a fit certificate from his own medical consultant and if such a certificate is not accepted by the Company, the case has to be referred to a third medical specialist nominated jointly by the Union and the Shipping Company and the opinion of the medical specialist with regard to the fitness of the seaman would be final. He stated that in the present case the act of the Company is not referring the dispute to the Union was a major infringement of the relevant clause of the Bilateral Agreement and the unilateral termination of the service of the seaman was against natural justice and in other words, the seaman was not given the opportunity to be heard. He stated that the onus of referring the dispute to the Union is of the Company and not of the seaman. In the present case, the Company did not consult the Union. The seaman (Petitioner) also did not inform the Union.

9. The petitioner also, wanted Shri S. C. Gupta, Shipping Master, Calcutta, to give evidence. As Shri S. C. Gupta, was on medical leave and not present in Calcutta, the petitioner was asked on which issue, the evidence of Shri S. C. Gupta was required. The petitioner stated that he required Shri Gupta to produce the Ship's Official Log Book. As the termination of service is not on disciplinary grounds and as the copy of the official log book entry relating to discharge of the seaman from ship's Articles of Agreement on medical ground was made available by the Company, I did not consider that evidence of Shri S. C. Gupta would be of any use of this Tribunal.

10. The service conditions of the petitioner are statutorily regulated by the Merchant Shipping Act. The service conditions, other than the Statutory ones, are also agreed to as per Company's letter of offer and appointment. As regards statutory conditions, it is established that the petitioner became sick requiring hospitalisation ashore on 8th August, 1985 when the ship was at Visakhapatnam (outer anchorage). He was signed off from ship's Articles of Agreement as per Official Log Book entry, treated at St. Joseph Hospital, Visakhapatnam till 30th August, 1985, repatriated to Calcutta which was the proper return port by the Shipowners and the shipowners terminated his service on 5th September, 1985. There is no dispute about these events or occurrences. The question is if the petitioner was fit to continue with the voyage of the ship M. V. Ratna Vandana, on his discharge from St. Joseph Hospital, Visakhapatnam. The answer is in the negative as he was not fit on his repatriation to Calcutta. Even, if the advice of the Company's doctor is disregarded, Shri Jani Babu required another three months to be declared "Fit for normal activities" from his own medical attendant. The petitioner, therefore, was unable to proceed on the voyage and the termination of his service is fully valid under the Clause (b) of Sub-section (1) of Section 141 of the Merchant Shipping Act.

11. The offer and appointment letter dated 10th November, 1980, stated "the terms and conditions of the petitioner's service will be as per N.U.S.I. Agreement." The relevant clause of NUSI Agreement (Clause 36 Medical Benefits) states that a seaman rejected by Company's Medical Officer may get himself examined by a medical specialist and in the event of divergence of opinion, his case shall be referred to a Medical Specialist nominated jointly by the Company and Union. In this case the seaman, after he was rejected by Company's Medical Officer, got himself examined and treated by a Medical Specialist, whereas the Company's Medical Officer declared himself permanently unfit for sea service, the other Medical Specialist declared him, after treatment, fit for normal activities. Obviously, there was divergence of two opinions, even if the latter opinion does not specifically mention fitness relating to sea service. As per clause 36 of NUSI Agreement, for the next step, the matter should have been referred to a Medical Specialist nominated jointly by Company and Union. This step was not taken. The working of Clause 36 of NUSI Agreement means that if one party wants the case referred to the third Medical Specialist, the other party is bound to take the necessary steps in doing so.

The petitioner, being the aggrieved party, could have insisted on the Company to refer the matter to a Medical Specialist nominated jointly by the Union and the Company. The petitioner made no such demand or even request to the Company. Nor did he inform the Union that any dispute existed between him and the Company, since his signing off the Articles of Agreement of M. V. Ratna Vandana on 8th August, 1985. The Union was approached only after the Tribunal required the production of copies of Appointment letter and the NUSI Agreement on 22nd February, 1990. It is possible, though improbable that the petitioner, having been temporarily rejected earlier by the Company Doctor, was not aware of the exact provision in Clause 36 of the NUSI Agreement. His letter of appointment clearly mentions NUSI Agreement as terms and conditions and the petitioner could not have missed this condition. Even than his not intimating of the dispute to the Union for advice or intervention is inexplicable.

12. From the documents on record and evidence before this Tribunal it has been established that the petitioner Shri Jani Babu was not fit for sea service on 5th September, 1985 when his service was terminated and he was not also fit till 12th December, 1985, when his Medical Specialist declared him fit. His fitness or otherwise after 12th December, 1985, could have been finally decided by another Medical Specialist who was not appointed and for whose appointment Shri Jani Babu made no request either to the Company or to the Union. The Medical opinion, if taken now will be without any purpose as Shri Jani Babu cannot be reinstated in service due to his reaching the upper age limit for sea service on 31st December, 1987. I hold that the Company's action in terminating the service of Shri Jani Babu on medical ground remains valid as the opinion of the Company's Doctor has so far not been superseded and for which the Company is not at fault.

13. The Award is passed in accordance with the para 10 and para 12 above.

The 8th August, 1990.

Calcutta.

N. CHAKRABORTY, One Man Tribunal.

[File No. C-18018/2/90-MT]

S. N. KAKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991